



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी



शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail: dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्र संख्या 4314/12-1 दिनांक, हल्द्वानी, 25 / 01 / 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Mining Division Haldwani for renewal of forest clearance for Collection of Minor Minerals from 1497 ha of forest land of Gaula River under Forest Division Tarai East, Haldwani and District Nainital, Uttarakhand.

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-61/1999-FC(Pt.IV) दिनांक 23.01.2023 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या 4291/12-1 दिनांक 23.01.2023।

महोदय:-

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में उल्लिखित आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन, हल्द्वानी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पत्र संख्या 1516 दिनांक 25.01.2023 (संलग्नक-1) से प्रेषित की गयी है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के कुल लक्ष्य 1497 है० के सापेक्ष वर्ष 2022-23 तक 1323.35 है० वृक्षारोपण किया गया है। अवशेष 173.65 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस वन प्रभाग द्वारा प्रदेश के समस्त वन प्रभागों को अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अपनी पत्र संख्या 3376/3-10 दिनांक 31.12.2022 द्वारा कुल 73.65 है० एवं प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग द्वारा उनके पत्र संख्या 1895/7-4 दिनांक 30.12.2022 (दोनों पत्र इस कार्यालय को जनवरी तृतीय सप्ताह में ई-मेल से प्राप्त हुए) कुल 100 है० वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु के०एम०एल० फाईल सहित उपलब्ध करायी गयी। इस कार्यालय की पत्र संख्या 4294/12-1 दिनांक 24.01.2023 (संलग्नक-2) से मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण को के०एम०एल० फाईल प्रेषित कर डी०एस०एस० एनालिसिस हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उनके पत्र संख्या 3201/2/2020 आई०टी०-फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट दिनांक 25.01.2023 द्वारा उक्तानुसार प्रेषित समस्त 173.65 है० अवनत वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है (संलग्नक-3)। प्रकरण की महत्ता को देखते हुए आकस्मिक स्थिति में तराई पूर्वी वन प्रभाग के अन्तर्गत ऐसे वन क्षेत्र प्रस्तावित किये जा रहे हैं, जिनकी सफलता हेतु विशेष विधि एवं तकनीकी प्रयास किये जाने आवश्यक होंगे। समय की कमी के कारण इनका डी०एस०एस० एनालिसिस नहीं हो सका। उक्त चयनित वन क्षेत्रों का घनत्व वृक्षारोपण किये जाने हेतु अनुकूल है।

अपेक्षित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है-

भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति		अनुपालन आख्या
प्रस्तर संख्या	विवरण	
2(i)	It has been intimated by the state government vide letter dated 04.01.2023 that 173.65 ha area is proposed for advance soil works in 2023-24 for the purpose of Compensatory Afforestation and the kml file of the same cannot be provided. The State needs to give reasons/justification for not completing the CA within stipulated period. Further, the kml file of the proposed area must also be submitted by the State for analysis.	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या F.No. 8-61/1999-FC दिनांक 23.01.2013 की शर्त संख्या ii अनुसार वन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त धनराशि से हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना निर्देशित है। कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष खनन

	<p>सत्र में पंजीकृत क्रेताओं से दैनिक रूप से उपखनिज चुगान के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रॉयल्टी की 15 प्रतिशत दर से धनराशि Adhoc-CAMPA में जमा की जाती है (संलग्न-4)। चूंकि उक्त धनराशि उपखनिज चुगान के लक्ष्य में प्रगति अनुसार ही मासिक रूप से वन विकास निगम द्वारा वन विभाग के माध्यम से Adhoc-CAMPA में जमा की जाती है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित 1497 है० लक्ष्य के सापेक्ष एकमुश्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या F.No. 8-61/1999-FC दिनांक 09.02.2010 द्वारा गौला नदी में चुगान सम्बन्धी अनुमति की शर्त संख्या-3 में भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्रतिवर्ष 149.70 है० की दर से 10 वर्षों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है (संलग्न-5)। फलस्वरूप उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक 149.70 है० की दर से कुल 1497 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना अपेक्षित था। जिसके अनुसार वर्तमान में वर्ष 2022-23 तक कुल 1323.35 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है एवं वर्ष 2023-24 हेतु अर्थात् अन्तिम वर्ष में तराई पूर्वी वन प्रभाग के अन्तर्गत अवशेष 173.65 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें वर्ष 2023-24 में अग्रिम मृदा कार्य किये जायेंगे। समस्त क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण एवं अवशेष 173.65 है० के सापेक्ष 174.00 है० प्रस्तावित अवनत वन भूमि की स्थलवार सूची संलग्न है (संलग्नक-6)। 174.00 है० अवनत वन भूमि की स्थलवार KML file की सी०डी० भी संलग्न है (संलग्नक-7)।</p>
<p>2(ii) The DSS analysis of the KML files of 250.0 ha of CA area submitted by the State has revealed the presence of agricultural land and construction in the 8-61/1999-FC(Pt.IV) I/37710/2023 CA site East Jaulasaal CT-20 and the area of two CA sites namely East Jaulasaal CT-20 Part-2 and Kotkhara South A-14 Plot 108 is less than 5 ha. These aspects are required to be looked into and clarified by the State govt.</p>	<p>वर्ष 2022-23 में किये गये 250 है० वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रश्नगत सी०ए० साईट के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है-</p> <p>1- वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जौलासाल की पत्र संख्या 528/12 दिनांक 24.01.2023 (संलग्नक-8) से प्रेषित रिपोर्ट अनुसार पूर्वी जौलासाल कक्ष सं० 20, पार्ट-2 की पूर्व में प्रेषित KML file में प्रश्नगत वृक्षारोपण क्षेत्र की परिधि से लगे अभिलेखित अतिक्रमणकारियों के कच्चे निर्मित भवन तकनीकी त्रुटिवश KML file के अन्तर्गत दर्शित हुए, जिसे संशोधित कर सी०डी० के रूप में संलग्न किया गया है (संलग्नक-9) एवं ई-मेल से भी प्रेषित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र से लगे अतिक्रमणकारियों के निरन्तर अतिक्रमण के प्रयासों को विफल कर 2.40 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया</p>

	<p>है। उक्त अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में अस्थाई निर्माण एवं कृषि कार्य के प्रयास किये जा रहे थे, जिसमें निर्माणाधीन दो गौशालाएँ एवं लगभग 0.4 है० वन भूमि पर कृषि कार्य करने के प्रयास किये गये। उक्त निर्माणाधीन गौशालाओं को ध्वस्त कर उपरोक्त कृषि क्षेत्र सहित कुल 2.4 है० वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत माह जुलाई-अगस्त 2022 में वृक्षारोपण किया गया।</p> <p>वृक्षारोपण हेतु चयनित उक्त क्षेत्र अतिक्रमण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु 5 है० से कम होने के उपरान्त भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लिया गया।</p> <p>कोटखर्रा दक्षिणी 14 (अ, ब) क्षेत्रफल 4.00 है० के सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी डौली की पत्र संख्या 1245/12-1 दिनांक 25.01.2023 (संलग्नक-10) के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र तराई पूर्वी वन प्रभाग की कार्ययोजना अनुसार किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों के मध्य सीमित रूप से उपलब्ध वन भूमि के सुरक्षा एवं संवर्धन के उद्देश्य से चयनित किया गया। आबादी के निकट होने के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अतिक्रमण एवं जैविक दबाव की संभावनायें थी, फलस्वरूप 5.00 है० से कम होने के उपरान्त भी उक्त 4.00 है० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया।</p>
<p>2(iii) The State govt has now submitted the mining plan approved by the Department of Mining and Geology Govt. of Uttarakhand. The said mining plan approved for next 5 years contains a letter No. 1057/VII-A-1/2022- 11(ख)2010 dated 29.09.2022 issued by the Government of Uttarkhand wherein the condition no. 13 stipulates that the User Agency will carry out mining after leaving 15% area on each bank of the river. Whereas, the condition at Sr no xiii of the approval dated 23.01.2013 stipulates that <i>extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of the river bed after leaving intact one fourth of the width of the river bed along its each bank.</i> The said condition which is contrary to the conditions of stage-II approval needs attention of the State government and clarification may accordingly be submitted.</p>	<p>प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, गौला खनन द्वारा उपरोक्त पत्र से प्रेषित रिपोर्ट द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1057/VII-A-1/2022/11(ख)/ 2010 दिनांक 29.09.2022 की शर्त संख्या 13 में टंकण त्रुटिवश 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत अंकित होने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 135/ VII-A-1/2023/11(ख)/2010 दिनांक 25.01.2023 से संशोधित पत्र जारी किया गया है, जिसमें उक्त त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला खनन के पत्र के साथ मूल में संलग्न है।</p>
<p>2(iv) All the parameters prescribed in the Handbook of guidelines dated 28.03.2019 have still not be included in the cost benefit analysis which is required to be done.</p>	<p>प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, गौला खनन द्वारा उक्त पत्र द्वारा Handbook of guidelines dated 28.03.2019 में उल्लिखित मानकों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित कॉस्ट बैनिफिट एनालिसिस प्रेषित किया गया है, जो उनके पत्र के साथ संलग्न है।</p>

<p>4 The State Government shall however immediately submit the reply to the observations as contained above in Para 2 of the letter along with the latest point wise status of compliance of the conditions stipulated in the S-II approval dated 23.01.2013 so that the proposal for renewal of validity of forest clearance can be placed before the FAC for consideration.</p>	<p>वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गौला नदी में चुगान सम्बन्धी अनुमति दिनांक 23.01.2013 में अधोरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, गौला खनन द्वारा प्रेषित कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए संलग्न है (संलग्नक-11)।</p>
---	---

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, गौला खनन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 24.01.2023 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के एफ0ए0सी0 सैक्शन द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि गौला उपखनिज चुगान के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की KML file में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की KML file प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, गौला खनन के उक्त पत्र के साथ सी0डी0 में संलग्न है एवं ई-मेल से भी प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक:- / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।